न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 36/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. संतोष कुमार गोपालका पुत्र कालू राम गुप्ता (ऋणी एवं रहनकर्त्ता)
निवासी 97, मौहल्ला भादूभु का, वार्ड नम्बर 11, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719 राज.

यहां भी
संतोष कुमार गोपालका पुत्र कालू राम गुप्ता
ठठेरों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 11, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719 राज.

यहां भी
संतोष कुमार गोपालका पुत्र कालू राम गुप्ता
प्रोपर्टी स्थित एट खसरा नम्बर 1882, मेहारों की ढ़ाणी, ग्राम खण्डेला, जिला सीकर।

2. मुन्नी देवी चौधरी पत्नी स्व. संतोष कुमार (सहऋणी एवं रहनकर्त्ता)
निवासी 97, मौहल्ला भादूभु का, वार्ड नम्बर 11, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719 राज.

यहां भी
मुन्नी देवी चौधरी पत्नी स्व. संतोष कुमार
प्रोपर्टी स्थित एट ग्राम कानवत, तहसील– खण्डेला, जिला सीकर (राज.)।

3. संजय कुमार बंसल पुत्र स्व. संतोष कुमार (सहऋणी)
निवासी 7, सिनेमा के पास–2, वार्ड नम्बर 06, ग्राम खण्डेला, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719 राज.।

4. विजय कुमार बंसल पुत्र स्व. संतोष कुमार (सहऋणी)
निवासी 7, सिनेमा के पास–2, वार्ड नम्बर 06, ग्राम खण्डेला, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719 राज.।

5. अजय कुमार बंसल पुत्र स्व. संतोष कुमार (सहऋणी)
निवासी 7, सिनेमा के पास–2, वार्ड नम्बर 06, ग्राम खण्डेला, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719 राज.।

6. गोविन्द सैनी पुत्र मंगुराम (जमानतकर्त्ता)
निवासी 480, ढ़ाणी कुल्या वाली, डायरा, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719 राज.।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
eCopy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक:22 अगस्त, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **संतोष कुमार गोपालका, मुन्नी देवी चौधरी, संजय कुमार बंसल, विजय कुमार बंसल, अजय कुमार बंसल, गोविन्द सैनी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में :–

(अ) **खसरा नम्बर 1882, मेहारों की ढ़ाणी, ग्राम खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 222 वर्गमीटर है। मालिकाना हक संतोष कुमार का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–**

पूर्व में :–पब्लिक रास्ता,

पश्चिम में :– अदर्स लैण्ड,

उत्तर में :– प्लॉट नम्बर डी–1,

दक्षिण में :– प्लॉट नम्बर डी–5,

(ब) **ग्राम कानवत, तहसील– खण्डेला, जिला सीकर (राज.) में स्थित है, जिसका नाप 134.30 वर्गमीटर है। मालिकाना हक मुन्नी देवी का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–**

पूर्व में :– चौक एण्ड पब्लिक रास्ता,

पश्चिम में :– प्रोपर्टी ऑफ रामपाल,

उत्तर में :– प्रोपर्टी ऑफ बजरंग लाल,

दक्षिण में :– भूमि ऑफ भजनलाल, द्वारका प्रसाद

को बंधक रखकर **25,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **पच्चीस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **15.01.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राम प्रताप गुप्ता ने वकातलनामा पेश किया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि पत्रावली से सम्बन्धित सभी कागजात की नकल दिलाई जावे।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **15.01.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **संतोष कुमार गोपालका, मुन्नी देवी चौधरी, संजय कुमार बंसल, विजय कुमार बंसल, अजय कुमार बंसल, गोविन्द सैनी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक :– **(अ) खसरा नम्बर 1882, मेहारों की ढ़ाणी, ग्राम खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 222 वर्गमीटर है। मालिकाना हक संतोष कुमार का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–**

पूर्व में :–पब्लिक रास्ता,
पश्चिम में :– अदर्स लैण्ड,
उत्तर में :– प्लॉट नम्बर डी–1,
दक्षिण में :– प्लॉट नम्बर डी–5,

(ब) ग्राम कानवत, तहसील– खण्डेला, जिला सीकर (राज.) में स्थित है, जिसका नाप 134.30 वर्गमीटर है। मालिकाना हक मुन्नी देवी का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं

पूर्व में :– चौक एण्ड पब्लिक रास्ता,
पश्चिम में :– प्रोपर्टी ऑफ राम लाल,
उत्तर में :– प्रोपर्टी ऑफ बजरंग लाल,
दक्षिण में :– भूमि ऑफ भजनलाल, द्वारका प्रसाद

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक:२२ **अगस्त, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner